

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12012- निगरानी

शिवप्रताप शर्मा उर्फ श्यो प्रसाद पुत्र स्व० श्री
मिठ्ठलाल शर्मा, निवासी बाई- नं० १४,
त्यागी चौक, अन्नाह जिला मुरैना-म०प्र० ।

----- प्रार्थी

विरुद्ध

- १- धर्मेश सिंह तामर पुत्र श्री श्यामसिंह तामर,
निवासी बालोनी, अन्नाह जिला मुरैना-म०प्र० ।
- २- रामरत्न पुत्र स्व० श्री सुलाल, बाई नं० १४,
गांधी मार्ग अन्नाह, जिला मुरैना-म०प्र० ।
- ३- राम प्रकाश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमर सिंह
त्यागी, निवासी बाई नं०-१४, त्यागी चौक,
अन्नाह जिला मुरैना (म०प्र०)
- ४- जगदीश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमर सिंह त्यागी,
निवासी बाई नं० १४, त्यागी चौक अन्नाह,
जिला मुरैना-म०प्र० ।
- ५- श्रीमती प्रेमाबाई पत्नी स्व० श्री रामबाबू त्यागी
निवासी बाई नं० १४, त्यागी चौक अन्नाह,
जिला मुरैना -म०प्र० ।
- ६- श्रीमती मीना त्यागी पत्नी स्व० श्री रामबाबू
त्यागी, निवासी ३०१बी गोविन्द पुरी सिटी
सेन्टर, ग्वालियर ।
- ७- श्रीमती जानन्दी बाई पुत्री स्व० श्री सुलाल
पत्नी स्व० श्री पूजाराय त्यागी, निवासी-
उदयपुरा खालसा पो० मदरोली तहसील बाह,
जिला आगरा (उ०प्र०) ।

-----प्रतिप्रार्थीगण

R 1810 - I/12

21/6/12

K. D. Dixit
Advocate
21/6/12

R/12

तेहसीलदार महोदय तेहसील अम्बाह जिला पुराना क्वारा नामान्तरण
प्रकरण क्रमांक ३४।११-१२-अ-६ में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका
दिनांकी ४-५-१२ तथा २८-५-१२ के बिरुद्ध निगरानी आवेदन पत्र
अन्तर्गत धारा ५०, मू-राजस्व संहिता १९५६, प्र०००

श्री मान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय क्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही अधिकारविहीन, वैधानिक, अनियमित एवं विधि-विधान की प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने मू-राजस्व संहिता की धारा ११०(३) व (४) तथा नियम २७ का पालन न होने संबंधी आपत्ति की है । इन प्रावधानों का पालन कानूनन मेन्हेटेररी है तथा आपत्तियों के क्षेत्राधिकार भी प्रभावित होता है, किन्तु तेहसीलदार महोदय ने आदेश पत्रिका दिनांक ४-५-१२ में आपत्ति एवं आवेदनपत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किये जाने का आदेश दिया है जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्ती योग्य है ।
- ३- यह कि, वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया संबंधी आपत्तियों का निराकरण सर्व प्रथम किया जाना चाहिये । कानून के इस सर्व मान्य सिद्धान्त का वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया जा रहा है ।
- ४- यह कि, प्रकरण में न तो विधिवत जांच ही की जा रही है, और न ही प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया है ।
- ५- यह कि, जब विवादित मूमि के स्वत्व के संबंध में माननीय दीवानी न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, तब राजस्व न्यायालयों को नामान्तरण की कार्यवाही रोक देना चाहिये । इस संबंध में

R. 1810

स्थान तथा

दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

19-1-16

यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/2011-12 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-12 तथा 28-5-12 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ तहसीलदार अम्वाह के अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-12 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उभय पक्ष के बीच प्रचलित नामान्तरण प्रकरण में पेशी 4-5-12 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर आपत्तिकर्ता ने जवाब देने के बजाय पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निराकरण की मांग रखी। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4-5-12 से निर्णय लिया कि प्रकरण में मूल दस्तावेज पेश न होने से आपत्ति के आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्तिकर्ता के आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किया जावेगा। तहसीलदार अम्वाह के इसी अंतरिम आदेश को निगरानी में चुनौती दी गई है।

प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की है एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित है एवं प्रकरण में पैरबी कर रहा है तहसीलदार का दायित्व था कि अंतिम निराकरण के पूर्व ही यथासमय उन्हें आपत्ति का निराकरण करना चाहिये, किन्तु उन्होंने ऐसा न करके प्रक्रियात्मक त्रुटि की है जिसके कारण तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-12 संशोधन योग्य है।

3/ तहसीलदार अम्वाह के अंतरिम आदेश दिनांक 28-5-12 की स्थिति यह है कि प्रकरण पेशी से उतरने के बाद नम्बर पर लिया जाकर इस दिन आपत्ति कर्ता

R
1/16




निगरानी प्रकरण क्रमांक 1810-एक/2012

अभिभाषक द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने से आपत्तिकर्ता की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है एवं आवेदक की साक्ष्य के लिये पेशी नियत की गई है जिस पर आपत्तिकर्ता ने प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कराने की मंशा व्यक्त करने के वाद भी प्रकरण आवेदक की साक्ष्य के लिये 31-5-12 को लगाया गया है।

प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया तहसीलदार का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध होना प्रतीत होता है क्योंकि जब प्रकरण पूर्व से पेशी पर से उतरा हुआ था एवं दिनांक 28-5-12 को गिरदावरी में लिया गया है तब आपत्तिकर्ता यकायक साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करेगा, तहसीलदार का अंतरिम आदेश द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है, जिसके कारण तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28-5-12 को भी स्थिर रखा जाना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार अम्वाह द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/2011-12 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-12, दिनांक 28-5-12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि तहसील न्यायालय में नामान्तरण प्रकरण दिनांक 22-2-12 को पंजीबद्ध हुआ है जिसे व्यतीत हुये 4 वर्ष 9 माह से अधिक समय हो चुका है अतएव तहसीलदार अम्वाह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नामांकरण प्रकरण क्रमांक 34/2011-12 अ-6 का 90 दिवस के भीतर विधिवत् निराकरण करें।




सदस्य